न्यायालय सुनील भाटी, R.A.S, अतिरिक्त कलक्टर, (द्वितीय) जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 60/2016

1. नारायण पुत्र स्व0 श्री कजोड, जाति–बैरवा, निवासी–ग्राम मुहाना, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
2. हरि पुत्र स्व0 श्री कजोड, जाति–बैरवा, निवासी–ग्राम मुहाना, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
3. नच्छीलाल पुत्र स्व0 श्री कजोड, जाति–बैरवा, निवासी–ग्राम मुहाना, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
4. जगदीश पुत्र स्व0 श्री मोहरू, जाति–बैरवा, निवासी–ग्राम मुहाना, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
5. कालूराम पुत्र श्री भंवर, जाति–बैरवा, निवासी–ग्राम मुहाना, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. गजानन्द पुत्र स्व0 श्री हजारीलाल, जाति–खटीक, निवासी–ग्राम मुहाना, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
2. मदनलाल पुत्र स्व0 श्री हजारीलाल, जाति–खटीक, निवासी–ग्राम मुहाना, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
3. लादूराम पुत्र स्व0 श्री हजारीलाल, जाति–खटीक, निवासी–ग्राम मुहाना, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
4. हनुमान पुत्र स्व0 श्री हजारीलाल, जाति–खटीक, निवासी–ग्राम मुहाना, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
5. शंकर पुत्र स्व0 श्री मोहरीलाल, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम मुहाना, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
6. हनुमान पुत्र स्व0 श्री मोहरीलाल, जाति–मीणा, निवासी–मुहाना, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
7. बिरमादेवी पत्नी मुनीम सिंह, जाति–मीणा, निवासी–54, सूर्य नगर, टोंक रोड़, दुर्गापुरा, जयपुर।
8. श्रीमती गंगादेवी पत्नी देवप्रकाश मीणा, जाति–मीणा, निवासी–ए–39, प्रेम कॉलोनी, मीणा नर्सरी, सूर्यनगर, तारों की कूट, टोंक रोड, जयपुर
9. देवप्रकाश पुत्र पांचूराम मीणा, जाति–मीणा, निवासी–ए–39, प्रेम कॉलोनी, मीणा नर्सरी, सूर्यनगर, तारों की कूट, टोंक रोड, जयपुर।
10. श्रीमती मनीषा मीणा पत्नी श्री हरिप्रकाश मीणा, जाति–मीणा, निवासी–ए–39, प्रेम कॉलोनी, मीणा नर्सरी, सूर्यनगर, तारों की कूट, टोंक रोड, जयपुर।
11. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, इन्द्रा सर्किल, जयपुर।
12. तहसीलदार सांगानेर, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध आज्ञा सरपंच, ग्राम पंचायत–मुहाना दिनांक 25.03.1970 नामान्तरकरण संख्या 90 ग्राम मुहाना)

उपस्थितः–

1. प्रार्थीगण असालतन/वकालतन अनुपस्थित।
2. अप्रार्थी सं0 1 लगायत 6 बावजूद तामील अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
3. श्री हेमन्त सौगानी, अभिभाषक, अप्रार्थी सं0 7 लगायत 10 की ओर से ।
4. श्री उमेश पारीक, अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से।
5. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।

निर्णय **दिनांक : 29.11.2017**

पटवारी हल्का मुहाना द्वारा ग्राम मुहाना की आराजी खसरा नं0 609 रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा के खातेदार हजारी पुत्र जीवा, जाति–खटीक द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.02.1970 विक्रय किये जाने पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर मोहरीलाल पुत्र रणजीता, जाति–मीणा क्रेता के नाम दिनांक 21.03.1970 को नामान्तरकरण भरकर पेश किया है जिसे सरपंच ग्राम पंचायत–मुहाना ने दिनांक 25.03.1970 को स्वीकार किया है, जिससे व्यथीत होकर यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है।

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गए। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 6 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वरवक्त बहस प्रार्थीगण असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहे, परन्तु प्रकरण ज्ञान में आने से धारा 82 के प्रावधानों के अन्तर्गत विनिश्चयन हेतु बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण ने अपने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में कथन किया हैं कि आराजी ख0नं0 609 रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम मुहाना प्रार्थी सं0 1 लगायत 3 के पिता व प्रार्थी सं0 4 व 5 के दादा स्व0 श्री कजोड पुत्र रेखा, जाति–बैरवा के कब्जे–काश्त व खातेदारी की भूमि हैं। इस आराजी के हाल आ0ख0नं0 1168 रकबा 0.02 हे0, आ0ख0नं0 1169 रकबा 0.04 हे0, आ0ख0नं0 1170 रकबा 0.03 हे0, आ0ख0नं0 1171 रकबा 1.24 हे0, आ0ख0नं0 1172 रकबा 0.17 हे0, आ0ख0नं0 1173 रकबा 0.10 हे0, आ0ख0नं0 1174 रकबा 0.04 हे0, आ0ख0नं0 1175 रकबा 0.09 हे0, आ0ख0नं0 1176 रकबा 0.21 हे0, आ0ख0नं0

1177 रकबा 0.16 हे0 एवं आ0ख0नं0 1178 रकबा 0.18 हे0, आ0ख0नं0 1179 रकबा 0.60 हे0, आ0ख0नं0 1180 रकबा 0.29 हे0, आ0ख0नं0 1181 रकबा 0.43 हे0, आ0ख0नं0 1183 रकबा 0.01 हे0, आ0ख0नं0 1175/1 रकबा 0.03 हे0, आ0ख0नं0 1176/1 रकबा 0.06 हे0, आ0ख0नं0 1177/1 रकबा 0.12 हे0, आ0ख0नं0 1178/1 रकबा 0.70 हे0 कुल किता 19 रकबा 4.53 हे0 हैं। यह आराजी प्रार्थीगण के बजमाने बुजुर्गान कब्जे–काश्त व हक अधिकार की आराजी हैं। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के कदीम से कब्जे–काश्त की हैं और इसके चारों ओर खाम बाउड्रीवाल बना रखी हैं। प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के सदस्य हैं और प्रार्थीगण के बुजुर्गान की आराजी को हड़पने की बदनियति से अप्रार्थी सं0 5 व 6 के पिता मोहरीलाल पुत्र श्री रणजीता, जाति–मीणा जो कि तत्कालीन भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत–मुहाना रहा हैं, ने जालसाजी व धोखाधडी से वादग्रस्त आराजी का विक्रय अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 के पिता श्री हजारीलाल पुत्र श्री जीवाराम, जाति–खटीक के पक्ष में पंजीकृत करवाकर हजारीलाल खटीक से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 02.02.1970 को स्वयं के नाम कराकर गैरकानूनी तरीके से तत्कालीन सरपंच श्री रूपनारायण से नामान्तरकरण संख्या–90 दिनांक 25.03.1970 तस्दीक करवा लिया और इस अवैध नामान्तरकरण के आधार पर अप्रार्थी संख्या–7 बिरमादेवी को बेचान कर नामान्तरकरण संख्या–114 दिनांक 24.07.1997 को तस्दीक करा दिया तथा बिरमादेवी ने अब केवल कागजी कार्यवाही कर अप्रार्थी संख्या–8 लगायत 10 को नुमायशी बेचान कर दिया। जिसके आधार पर वर्तमान में वादग्रस्त आराजी की खातेदारी अंकन अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 10 के नाम अवैध रूप से दर्ज हैं। चूंकि वादग्रस्त आराजी प्रारम्भ से ही अनुसूचित जाति बैरवा के नाम दर्ज रही हैं और गलत तरीके अपनाकर अनुसूचित जनजाति मीणा के नाम दर्ज की गई हैं जो कि धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के प्रावधानों के विपरित (वॉयलेशन ऑफ लॉ) हैं। तस्दीक किया गया नामान्तरकरण विधि के प्रावधानों के विपरित व लोक नीति के विरूद्ध हैं जिसे निरस्त किया जाना कानूनन आवश्यक हैं। वादग्रस्त आराजी के संबध में तहसीलदार, सांगानेर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके संबध में तहसीलदार, सांगानेर ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से पटवारी हल्का ने धारा 42 का उल्लधंन होने का कथन दर्ज किया हैं और तहसीलदार ने भी धारा 42 का उल्लधंन होना स्वीकार किया हैं। वादग्रस्त आराजी के संबध में अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 ने अपर जिला न्यायाधीश, क्रम संख्या–19 जयपुर महानगर जयपुर

के समक्ष विक्रय–पत्र दिनांक 02.02.1970 को धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अवैध एवं शुन्य बताते हुए दावा पेश किया था जिसमें जिला न्यायाधीश महोदय ने स्टे–आर्डर जारी किया तथा अप्रार्थी संख्या–7 बिरमादेवी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. खारिज कर दिया। चूंकि विक्रय–पत्र दिनांक 02.02.1970 विधि के विपरित होने से ऐबइनिशियो वॉयड था, किन्तु अप्रार्थी सं0–1 लगा0 4 ने अपना दावा अप्रार्थी सं0–7 लगायत 10 से कॉल्यूजन करके अनुचित राशि प्राप्तकर विड्रा कर लिया चूंकि उक्त वादग्रस्त भूमि पर मिन प्रार्थीगण का कब्जा–काश्त शुरू से ही चला आ रहा हैं इसलिए वादग्रस्त भूमि का नुमायशी विक्रय–पत्रों से बार–बार बेचान होता रहा हैं और अब अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 10 अपने धनबल व भुजबल के आधार पर नुमायशी विक्रय–पत्र की आड़ में मिन प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने की धमकी देने लगे हैं। वादग्रस्त आराजी का विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 42 के उल्लधंन में हुआ हैं और किया गया विक्रय व पश्चात्वर्ती विक्रय प्रारम्भ से शुन्य हैं। शुन्य आधारित नामा0सं0–90 को रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के जरिये चुनौती दिये जाने हेतु अधिनियम में कोई मियाद निश्चित नहीं हैं। प्रार्थीगण ने जानकारी होते ही अन्दर मियाद रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर नामा0सं0–90 दिनांक 25.03.1970 ग्राम मुहाना, तहसील–सांगानेर को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

अप्रार्थी सं07 लगा0 10 के विद्वान् अभिभाषक श्री हेमन्त सौगानी का कथन है कि रेफरेन्स अधीन साबिका आराजी ख0नं0 ख0नं0 609 रकबा 18 बीधा 1 बिस्वा वाके ग्राम मुहाना हाल आ0ख0नं0 1168 रकबा 0.02 हे0, आ0ख0नं0 1169 रकबा 0.04 हे0,आ0ख0नं0 1170 रकबा 0.03 हे0,आ0ख0नं0 1171 रकबा 1.24 हे0, आ0ख0नं0 1172 रकबा 0.17 हे0,आ0ख0नं0 1173 रकबा 0.10 हे0, आ0ख0नं0 1174 रकबा 0.04 हे0, आ0ख0नं0 1175 रकबा 0.09 हे0, आ0ख0नं0 1176 रकबा 0.21 हे0,आ0ख0नं0 1177 रकबा 0.16 हे0 एवं आ0ख0नं0 1178 रकबा 0.18 हे0, आ0ख0नं0 1179 रकबा 0.60 हे0,आ0ख0नं0 1180 रकबा 0.29 हे0,आ0ख0नं0 1181 रकबा 0.43 हे0, आ0ख0नं0 1183 रकबा 0.01 हे0, आ0ख0नं0 1175/1 रकबा 0.03 हे0, आ0ख0नं01176/1 रकबा 0.06 हे0,आ0ख0नं01177/1 रकबा 0.12 हे0,आ0ख0नं01178/1 रकबा 0.70 हे0 कुल किता 19 रकबा 4.53 हे0 प्रार्थी सं0 1, लगा0 3 के पिता व प्रार्थी सं0 4 व 5

के दादा स्व0 श्री कजोड पुत्र रेखा, जाति–बैरवा के खातेदारी की भूमि थी, इस आराजी के खातेदार कजोड पुत्र रेखा चमार ने दिनांक 09.12.1966 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र हजारीलाल पुत्र जीवा, जाति–खटीक को बेचान की हैं जिसके आधार पर नियमानुसार क्रेता के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकार होने पर राजस्व अभिलेख में हजारी पुत्र जीवा, जाति–खटीक के नाम अंकित हो गया। हजारी पुत्र जीवा, जाति–खटीक ने वादग्रस्त आराजी को जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 02.02.1970 मोहरीलाल पुत्र रणजीता, जाति–मीणा को बेचान कर भूमि का कब्जा मोहरीलाल को संभला दिया। इस प्रकार प्रार्थीगण के वादग्रस्त आराजी में कब्जा व दखल नहीं होने के कारण नामान्तरकरण संख्या–90 दिनांक 25.03.1970 के विरूद्ध प्रार्थीगण को रेफरेन्स प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं हैं। नामान्तरकरण संख्या–90 दिनांक 25.03.1970 रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के आधार पर स्वीकार किया गया हैं जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं हैं। वादग्रस्त आराजी के क्रेता खातेदार मोहरीलाल पुत्र रणजीता, जाति–मीणा ने दो भिन्न–भिन्न रजिस्टर्ड विक्रय–पत्रों के जरिये दिनांक 28.05.1996 को एवं दिनांक 25.06.1998 को विक्रय किया हैं और क्रेता के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या–114 व 158 स्वीकार हुआ हैं। इसके पश्चात् वादग्रस्त आराजी को खातेदार बिरमादेवी ने तीन रजिस्टर्ड विक्रय–पत्रों के माध्यम से गंगादेवी, देवप्रकाश व मनीषा जाति–मीणा को बेचान किया हैं और इस बेचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या–1364, 1365 व 1366 दिनांक 08.02.2013 स्वीकार किये गये हैं। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी का विभिन्न पंजीकृत विक्रय–पत्रों के माध्यम से बेचान हुआ हैं और क्रेतागण को कब्जा हस्तान्तरित होने के फलस्वरूप क्रेतागण का कब्जा हैं। हजारी पुत्र जीवा, जाति–खटीक ने अपने जीवनकाल में विक्रय–पत्र अथवा नामान्तरकरण को मोहरीलाल पुत्र रणजीता मीणा अथवा बिरमादेवी, जाति–मीणा के विरूद्ध चुनौती नहीं दी हैं। वादग्रस्त भूमि पर हजारी पुत्र जीवा, जाति–खटीक के अधिकार उसके जीवनकाल में ही पूर्णतः समाप्त हो गये और जब हजारी का दिनांक 03.12.2000 को देहान्त हो गया तो प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार के विरासत के अधिकार प्राप्त नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध में पंजीकृत विक्रय–पत्र को न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश(क.ख.) क्रम–2 जयपुर महानगर, सांगानेर, जयपुर में चुनौती दी गई थी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त फरमाया दिया गया। नियमित दावा निरस्त होने के पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं होने से

निरस्तनीय हैं। गजानन्द वगैराह ने भी विक्रय–पत्र को निरस्त करवाने, कब्जा व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु एक दावा उनवानी गजानन्द बनाम शंकर वगैराह न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर महानगर जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका हैं। वादग्रस्त आराजी के संबध में सरकार द्वारा भी धारा 175, 176 सपठित धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, चाकसू में प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 01.02.2017 को निरस्त किया जा चुका हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा समस्त तथ्यों को छुपाकर क्रेतागण को हैरान व परेशान की गरज से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अत्यधिक विलम्ब लगभग 50 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत किया गया हैं जबकि सभी तथ्य प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्वजों की जानकारी में थे। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सारहीन हैं और कोई विधिक व तात्विक सार नही हैं। एक दीर्ध अवधि के पश्चात् बिना किसी वैध आधार के रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया हैं जो गंभीर रूप से विलम्बित होने की वजह से निरस्तनीय हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जावे।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक का कथन हैं कि वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण संख्या–90 धारा 42 के विरूद्ध स्वीकार किया गया हैं जिसे निरस्त फरमाया जावे। रेफरेन्स प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा बाधित नहीं हैं।

अप्रार्थी संख्या 11 के विद्वान् अभिभाषक श्री उमेश पारीक का कथन हैं कि पंजीकृत विक्रय पत्रों के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किये गये हैं और विक्रय–पत्र को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 09.12.1966 के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि वादग्रस्त आराजी को खातेदार कजोड पुत्र रेखा, जाति–चमार द्वारा हजारीलाल पुत्र जीवा, जाति–खटीक को बेचान किये जाने के फलस्वरूप क्रेता हजारी पुत्र जीवा, जाति–खटीक बतौर खातेदार राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ हैं और हजारी पुत्र जीवा कौम खटीक ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 02.02.1970 मोहरीलाल पुत्र रणजीता, जाति–मीणा को विक्रय किये जाने के फलस्वरूप नामान्तरकरण संख्या–90 सरपंच ग्राम पंचायत–मुहाना द्वारा दिनांक 25.03.1970 को मोहरीलाल पुत्र रणजीता, जाति–मीणा के हक में स्वीकार किया गया हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह

भी जाहिर होता हैं कि विक्रय–पत्र को निरस्त कराये जाने हेतु सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया गया हैं। जहां से विक्रय–पत्रों के विरूद्ध कोई दादरसी प्राप्त नहीं हुई हैं। ऐसी स्थिति में यह सुस्पष्ट हैं कि विक्रेता कजोड पुत्र रेखा, जाति–चमार को अपने जीवनकाल में और मृतक के वारिसान को पंजीकृत विक्रय–पत्र की एवं इनके आधार पर स्वीकार किये नामान्तरकरण की प्रारम्भ से ही जानकारी थी। नामान्तरकरण के विरूद्ध किसी प्रकार की चुनौती दिये जाने के कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं हैं परन्तु यह सुस्पष्ट हैं कि 45 वर्ष की एक दीर्घ अवधि के पश्चात् रेफरेन्स के माध्यम से नामान्तरकरण संख्या–90 दिनांक 25.03.1970 को चुनौती दी गई हैं, अत्यधिक विलम्ब को बिना किसी आधार पर स्वीकार किये जाने का कोई न्यायोचित कारण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। रेफरेन्स युक्तियुक्त समय (Reasonable Time) में किया जाना चाहिए। अतः उक्त विवेचनानुसार रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण अस्वीकार किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

29/11/17

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)